भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 6398

जिसका उत्तर 02.04.2026 को दिया जाना है

तटीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना का विस्तार

†6398. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पोत पत्तनों, औद्योगिक गलियारों और पर्यटन स्थलों के बीच सम्पर्क में सुधार के लिए देश के तटीय क्षेत्रों में प्रमुख राजमार्ग विकास परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) क्या यह सच है कि भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और अनुबंध संबंधी मुद्दों में विलंब के कारण कुछ राजमार्ग परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में बाधा आई है;

(ग) क्या सरकार ने राजमार्ग निर्माण परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया है; और

(घ) तटीय जिलों में आर्थिक विकास एवं क्षेत्रीय संपर्कता को समर्थन देने के लिए सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा प्रस्तावित हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास एवं अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। सरकार ने तटीय सड़कों (आम तौर पर तट से 50 किमी के भीतर) को दो/चार लेन मानकों के अनुरूप विकसित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया है। इसके अतिरिक्त, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की प्राथमिकता के अनुसार पत्तनों की संपर्कता और राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआईसीडीसी) की प्राथमिकता के अनुसार औद्योगिक केंद्रों से संपर्कता के विकास के लिए भी कार्य किए जा रहे हैं ताकि रसद (लॉजिस्टिक्स) लागत को कम किया जा सके और माल ढुलाई दक्षता में सुधार किया जा सके, जो आर्थिक विकास के लिए प्रेरक का कार्य करेगा।

वर्तमान में, देश भर में तटीय क्षेत्रों, पत्तनों, आर्थिक, औद्योगिक, पर्यटन और धार्मिक केंद्रों/नोड्स सहित संपर्कता में सुधार के लिए लगभग ₹7.60 लाख करोड़ की लागत से लगभग 27,300 किलोमीटर लंबाई की 1,244 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में विलंब मुख्य रूप से भूमि अधिग्रहण, वैधानिक मंजूरी/अनुमतियों, जनोपयोगी सुविधाओं, अतिक्रमण हटाने, कानून और व्यवस्था संबंधी मुद्दों, रियायतग्राही/संविदाकार की कार्यान्वयन क्षमता को प्रभावित करने वाले वित्तीय संकट, संविदाकार/रियायतग्राही के खराब कार्य-निष्पादन, अप्रत्याशित घटनाओं आदि से संबंधित मुद्दों/अवरोधों के कारण होती है।

देश में परियोजनाओं को पूर्ण करने में तेजी लाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें "भूमिराशि" पोर्टल और जीआईएस-आधारित भूमि अधिग्रहण योजना का उपयोग करके भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और त्वरित बनाना, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के माध्यम से "परिवेश" पोर्टल का पुनर्गठन करना ताकि वन और पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियां तेजी से मिल सकें, रेलवे से सड़क उपरि पुल/सड़क अधोगामी पुल (आरओबी/आरयूबी) के सामान्य आरेख (जीएडी) की ऑनलाइन स्वीकृति सक्षम करना और राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के सक्रिय सहयोग से चल रही परियोजनाओं में आने वाली बाधाओं/अवरोधों की समीक्षा और समाधान के कार्यतंत्र का लाभ उठाना शामिल है। सरकार ने रेलवे से संबंधित अनुमोदन के लिए एक वेब पोर्टल भी शुरू किया है, जिसमें विभिन्न स्वीकृतियों के लिए निर्धारित समय-सीमा दी गई है।

सरकार ने परियोजना की प्रगति और संविदाकारों की अक्षमताओं की निगरानी के लिए कई कार्यतंत्रों का उपयोग करते हुए एक सुदृढ़ ढांचा तैयार किया है। परियोजना की प्रगति का आकलन करने के लिए हितधारकों के साथ विभिन्न स्तरों पर नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं, और तीन साल से अधिक विलंबित या आबंटन/नियुक्ति के लिए लंबित परियोजनाओं जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर भी ध्यान दिया जाता है।

कई राज्य सरकारें परियोजना क्रियान्वयन को प्रभावित करने वाले मुद्दों के समाधान के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में समन्वय बैठकें आयोजित करती रहती हैं। जिन परियोजनाओं में मुद्दे अनसुलझे रह जाते हैं, उन्हें परियोजना निगरानी समूह और "प्रगति" के माध्यम से आगे की समीक्षा के लिए भेजा जाता है।

(घ) तटीय राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना को सुदृढ़ करने में पर्याप्त प्रगति हुई है, और नेटवर्क का अधिकांश भाग पहले से ही चालू है। देश की तटरेखा के साथ लगभग 6,144 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में से 4,322 किमी पहले ही पूर्ण हो चुका है, और 1,033 किमी निर्माणाधीन है। शेष राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं अनुमोदन के विभिन्न चरणों में हैं।
